

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०


प्रथम पक्ष - बिनोद नायकबगैरह।

बनाम

वाद सं० 21/2022

द्वितीय पक्ष - चारो उरॉव बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
25/11/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 14/2022 दिनांक 30/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बिनोद नायक उम्र 22 वर्ष पिता धरम नायक (2) धरम नायक उम्र 51 वर्ष पिता स्व० दशरथ नायक दोनो ग्राम मुर्गा थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) चारो उरॉव उम्र 32 वर्ष (2) मोहन उरॉव पिता स्व० गोबिंद उरॉव उरॉव गोविन्द्र भगत ग्राम मुर्गा गोबर टोली थाना कामडारा के बीच भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।